न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19 / 2018 (उदयपुर आर्डर)

1. डालू पिता गोविन्दा डांगी, निवासी महाराज की खेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. नारायण पिता हेमा डांगी, निवासी महाराज की खेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती देउबाई पिता हेमा पत्नी वक्ता डांगी, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती मंजू पिता हेमा पत्नी धर्मचन्द डांगी, निवासी भागलिया, टूस, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. धर्मा पिता कन्ना डांगी, निवासी महाराज की खेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती कमलु पत्नी कन्ना डांगी, निवासी महाराज की खेड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती चुन्नीबाई पिता कन्ना पत्नी कन्ना डांगी, निवासो रेड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
2. ग्रुप कमाण्डर एन.सी.सी. (ने''नल केडिट कोर), चेतक सर्कल, सहेली मार्ग, उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली

दिनांक 30.01.2018 प्र॰सं॰ 123/17

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री कैला''ा नागदा अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री मन्नालाल त्रिपाठी अभिभाषक रेस्पो.सं. 2

3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

17—09—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नाहर मगरा में आराजी नंबर 3076, 3078 व 3079 कुल किता 3 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होने से तहसीलदार मावली द्वारा धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये गये, जिसमें बाद कार्यवाही प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होने से तहसीलदार द्वारा दिनांक 01—12—1976 को नियमन की सिफारि''ा की गयी तथा पत्रावली नियमन कमेटी को राय हेतु भेजी गयी, जिसके आधार पर दिनांक 18—11—1977 को नियमन के आदे''ा पारित किये गये तथा उक्त आदे''ा की पालना में नामान्तरकरण खोला जाकर गैर खातेदारी हक से दर्ज की गयी। प्रार्थीगण द्वारा काफी खर्चा कर भूमि का आबादान किया गया तथा चारों ओर कच्चे पत्थरों की कोट बना रखी है, किन्तु राज्य सरकार ने कानूनी प्रकिया अपनाये बिना विपक्षी संख्या 2 को आवंटन कर दिया है तथा दिनांक 16—07—2014 को नामान्तरकरण संख्या 1879 विपक्षी संख्या 2 के नाम स्वीकृत कर दिया है, जो बिना अधिकार के होकर प्रार्थीगण के मुकाबले प्रभाव भून्य है। विपक्षी संख्या 2 प्रार्थीगण के आधिपत्य की आराजियात में जबरन कब्जा करने पर उतारू हैं। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया

जावे कि वे विवादित भूमि से प्रार्थीगण को बिना कानूनी प्रकिया अपनाये जबरन बेदखल नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

विपक्षीगण ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया एवं अपने वि"ोश कथन में वर्णित किया कि ग्राम कुण्डाल विवादित आराजी नंबर 3076, 3078 व 3079 कुल किता 3 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से 22 बीघा 9 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 2 को दिनांक 02–06–2014 को विधिवत जिला कलक्टर द्वारा आवंटित की जाकर भूमि विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज की गयी है। आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण का एक दिन भी कब्जा नहीं रहा। प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करे हुए अपने निर्णय दिनांक 30–01–2018 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/ प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 02–04–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री मदनलाल त्रिपाठी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्टगण का कब्जा होते हुए भी उन्हें बगैर सुने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के पक्ष में आवंटन कर दिया गया है, जबकि अपीलान्ट के पक्ष में नियमन का आदे"ा दिनांक 30–04–1977 को उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा किया गया है इसलिए जब तक रेस्पोन्डेन्ट उक्त आदे"ा को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते तब तक यह भूमि रेस्पोन्डेन्ट को आवंटित नहीं की जा सकती, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः

अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। वकील अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में डब्ल्यू. एल.सी. (राज.) यू.सी. 2008 पेज 417, आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 1140 एवं 2007 (3) डी.एन.जे. (राज.) पेज 1182 प्रस्तुत की।

वहीं विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होन से खारिज करने की प्रार्थना की तथा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.डो. 1997 पेज 447, आर.आर.डी. 2006 पेज 36 एवं आर.आर.डी. 1993 पेज 682 प्रस्तुत की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए यह माना है कि विवादित भूमि का जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 02–06–2014 को विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में विधिवत आवंटन किया गया है, जिसका नामान्तरकरण भी स्वीकृत होकर मौके पर कब्जा विपक्षी संख्या 2 का है तथा आवंटी विपक्षी संख्या 2 रेकार्ड खातेदार है। उक्त आधारों पर प्रथम दृश्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति विपक्षी संख्या 2 का मानते हए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत होन से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं। वक्त आवंटन प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा हो इस बाबत् भी उनकी ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ऐसी स्थिति में जब तक कब्जा अन्यथा साबित नहीं हो तब तक कब्जा रेकार्डेड खातेदार का ही होने की अवधारणा ली जाती है। इस संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30–01–2018 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर